कार्य का नाम :– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में पौखार – गेंवली (भिलंग) मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (मार्ग के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण प्रस्ताव। (लम्बाई– 10.00 किमी0)

प्रतिवेदन

भारत सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आय और उत्पादन रोजगार अवसरों के अधिक मात्रा में सृजन एवं स्थायी रूप से गरीबी निवारण करने के उद्‌देश्य से पर्वतीय क्षेत्र में आबादी वाली असंयोजित बसावट को किसी भी बाहरमासी सम्पर्क मार्ग से जोडने का कार्य सम्मलित किया गया है। उक्त कम में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या– 2091/III(2) /16–44 (प्रा0आ0)/2016 दिनांक– 26.07.2016 द्वारा को (लम्बाई– 10.00 कि0मी0) लागत 51.40 लाख हेतु स्वीकृति प्राप्त हुई !

उक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग ग्राम – पौखार – गेंवली (भिलंग) से होकर गुजरता है, जिनकी आबादी लगभग–641 है। यह मार्ग घनसाली–घुत्तु मोटर मार्ग के कि0मी0–11 से प्रारम्भ पंजगाव से पूर्व समाप्त होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग के निर्माण से ग्रामसभा– पौखार – गेंवली (भिलंग) के ग्रामवासियों को यातायात की सुविधा होगी। भविष्य में यह मोटर मार्ग रानीगढ–लैणी–बुढवा मोटर मार्ग से जुड जायेगा। जिसके निर्माण होने से यह मोटर मार्ग बाईपास के रूप में भी कार्य करेगा एवं क्षेत्र का चहुमुखी विकास होगा।

उल्लेखनीय है कि पर्वतीय क्षेत्रों में कास्तकारों की नाप भूमि की अतिरिक्त समस्त प्रकार की भूमि को वन भूमि श्रेणी में लिया गया है। इस मार्ग के समरेखण में आरक्षित वन भूमि 5.950 है0, वन पंचायत भूमि 0.00 है0, सिविल सोयम भूमि 0.455 है0 एंव 0.765 है0 नाप भूमि प्रभावित हो रही है जो कि न्यूनतम एव अप्रिहार्य है वन भूमि हस्तान्तरण करने हेतु वन संरक्षक अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सर्वेक्षण के उपरान्त इस मार्ग के निर्माण हेतु दो समरेखणों पर विचार किया गया है। जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न रंगीन गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंग से दर्शाया गया है। उक्त को ध्यान में रखते हुये समरेखण नं0–2 को निरस्त कर समरेखण नं0–1 को अनुमोदित किया गया है इन दोनो संमेरखणों का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है। एवं उनके द्वारा समरेखण नं0–1 को मार्ग निर्माण हेतु तकनीकी, पर्यावरणीय एवं भू–गर्भीय दृष्टि से उपर्युक्त पाया गया है। ;भू–वैज्ञानिक रिपोर्ट की आख्या की छाया प्रति संलग्न अतः लोक निर्माण विभाग के मानकों के अनुसार आने वाले आरक्षित वन भूमि 5.950 है0 व सिविल सोयम भूमि 0.455 है0 कुल वन भूमि – 6.405 है0 वन भूमि को हस्तान्तरित करने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

कनिष्ठ अभियन्ता	सहायक अभियन्ता सहायक अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो0नि0विभाग घनसाली (टि0ग0)	अधिशासी अभियन्ता अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0 घनसाली (टि0 ग0)